न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
08 / 2023	2023 / 148	05.10.2023	19.02.2023

श्री देवीलाल पिता रामा जी मीणा उचित मुल्य की दुकानदार देवपुरा FPS कोर्ड संख्या 30499 ग्राम पंचायत देवपुरा जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़

:– विपक्षीगण

अपील बनाराजगी प्रकरण संख्या 61 / 2022 निर्णय दिनांक 17.01.2023 (निलम्बन आदेश क्रमांक :– रसद / अभियोजन / 2022 / 667–674 दिनांक 12.10.2022)

उपस्थिति :–

1. श्री कुशवेन्द्र सिंह (अधिवक्ता अपीलार्थी)
2. पैरोकार सरकार रसद

–: आदेश :– दिनांक :–19.02.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध बनाराजगी प्रकरण संख्या 61 / 2022 निर्णय दिनांक 17.01.2023 (निलम्बन आदेश क्रमांक :– रसद / अभियोजन / 2022 / 667–674 दिनांक 12.10.2022) के संबंध में प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत देवपुरा के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा में गेहुँ वितरण में अनियमितता एवं गबन होने की शिकायत करने पर प्रवर्तन निरीक्षक रसद द्वारा दिनांक 08.0.2022 एवं 09.10.2022 को किये गये मौका निरीक्षण अनुसार जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 12.10.2022 को अपीलार्थी को एक कारण बताओं नोटीस क्रमांक :– रसद / अभियोजन / 2022 / 61–C जारी करते हुए दिनांक 01.11.2022 तक उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब देने हेतु पाबंद किया गया था। उक्त कारण बताओं नोटिस अनुसार अवगत कराया गया कि :–

1. रसद विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 08.10.2022 एवं 09.10.2022 दोनों दिवस को किये गये आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उचित मुल्य दुकान बंद पायी गई जिससे उक्त दुकान का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सका।
2. यह कि दिनांक 08.10.2022 को आप से दूरभाष पर संपर्क किया गया परन्तु आपके द्वारा बाहर होता बताया गया। दिनांक 09.10.2022 को भी आप से दूरभाष पर सम्पर्क करने की कोशिश की गई परन्तु आप के द्वारा फोन नहीं उठाया गया।

514

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

3. यह कि ई.पी.डी.एस. पोर्टल की ऑनलाईन सूचना के अनुसार दिनांक 09.10.2022 को आपकी उचित मूल्य दुकान पर नियमित योजना का 34.88 क्विंटल एवं प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का 44.88 क्विं. गेहुं अवशेष था।
4. यह कि ऑनलाईन स्टॉक होने के बाद भी स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाना और दुकान बंद रखना गंभीर अनियमितता का सूचक है।
5. यह कि मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा समय पर राशन वितरण नहीं किया जा रहा है।

उक्त क्रम में अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अवगत कराया गया था कि वक्त निरीक्षण दिनांक 08.10.2022 एवं 09.10.2022 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं रही है तथा जांच अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के यहाँ भौतिक सत्यापन करने हेतु पूर्व में कोई जानकारी नहीं दी गई थी इसलिए वक्त निरीक्षण दिनांकों को अपीलार्थी पॉस मशीन एवं उपलब्ध स्टॉक सत्यापन नहीं करवा पाया था। यद्यपि अपीलार्थी के यहाँ कमी पायी गई राशन सामग्री 79.76 क्विंटल गेहुँ अपीलार्थी द्वारा वैकल्पिक दुकानदार श्री लक्ष्मण मीणा को प्रर्वतन निरीक्षक की उपस्थिति में दिनांक 11.05.2023 को उपलब्ध करा दी गई थी।

जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध पूर्व में काई अनियमितता की शिकायत नहीं रही है उसके द्वारा समुचित तरीके से उचित मुल्य दुकान का संचालन किया जाता रहा है। जिससे क्षुब्ध होकर अपील अपीलार्थी उपरोक्त आधारों पर सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे तथा जिला रसद अधिकारी से जारी विवादित आदेश दिनांक 17.01.2023 को अपास्त फरमाते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमावे।

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट/विपक्षी को सूचना पत्र जारी किये गये जिसकी बाद तामिल रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट/विपक्षी (जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़) कि ओर से पैरोकार सरकार रसद उपस्थित हो सीधे बहस हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि अपीलार्थी लगातार उचित मूल्य दुकान देवपुरा FPS Code 30499 का संचालन करता चला आ रहा है किन्तु उसके विरूद्ध आदिनांक तक कोई अनियमितता की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है। वक्त निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के यहाँ कमी पाई गई राशन सामग्री 79.76 क्विंटल गेहुँ अपीलार्थी द्वारा वैकल्पिक व्यवस्थार्थ नियुक्त उचित मुल्य दुकानदार नकोर को विधिवत् अन्तरित किये जा चुके है। अपीलार्थी द्वारा कोई गबन नहीं किया गया है। अपीलार्थी के पास उचित मुल्य दुकान देवपुरा के संचालन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य रोजगार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित आदेश दिनांक 17.01.2023 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल फरमाया जावे।

इसी क्रम में उपस्थित पैरोकार सरकार रसद द्वारा अपील मेमों में वर्णित कथनों का आंशिक रूप से खण्ड्न करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही वक्त निरीक्षण दिनांक 08.10.2022 एवं 09.10.2022 दोनों दिवसों को दुकान बंद पाई गई जिसके बाद अपीलार्थी के विरूद्ध की गई जांच अन्तर्गत प्रदर्शित अनियमितताओं तथा सघन जांच के पश्चात् अपीलार्थी को सूनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त की गई है। अपीलार्थी को ज्ञापित नोटीस के क्रम में लगातार कोई लिखित अथवा मौखिक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा कमी राशन सामग्री बामुश्किल वैकल्पिक दुकानदार को जमा कराई गई है। जिसके आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक प्रचलित विधियों के परिपेक्ष्य में अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत अपील मेमों दिनांक 13.06.2023, निलबंन आदेश एवं कारण बताओं नोटिस दिनांक 12.10.2022 एवं 17.10.2023 तथा 16.11.2022 एवं 30.11.2022 तथा 28.12.2022 एवं 10.01.2023 तथा निर्णय दिनांक 17.01.2023 तथा समस्त नकल आदेशिकाएं प्रकरण संख्या 61/2022, सामग्री प्राप्ति रिपोर्ट दिनांक 09.05.2023 तथा संलग्न समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया वक्त निरीक्षण अपीलार्थी द्वारा संचलित उचित मुल्य दुकान देवपुरा बंद पायी गई तथा अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित कार्यवाही के संबंध में अधिनस्थ द्वारा अपीलार्थी को बार बार अवसर प्रदान कराये जाने के उपरान्त भी अपीलार्थी द्वारा युक्ति–युक्त जवाब अधिनस्थ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा अपीलार्थी द्वारा वक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं भौतिक सत्यापन अन्तर्गत कम पायी गई राशन सामग्री 79.76 क्विंटल गेहुँ का अन्तरण वैकल्पिक उचित मुल्य दुकानदार नियत समायावधि में अन्तरित नहीं किया जाना अनियमितता का बहुत बड़ा कारक रहा है। अधिनस्थ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध संचालित सम्पूर्ण कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि दर्शित रिकार्ड नहीं पाये जाने से अपीलार्थी के पक्ष में शिथिलन का रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2023 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ